

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संख्या-प्र०२/ल०ज०सं०/बजट/किराया महसूल एवं कर-36/2019-193 /पटना, दिनांक-27/7/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-mail

कार्यपालक अभियंता,

लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद/शेखपुरा/सहरसा/बेतिया/भागलपुर ।

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत किराया महसूल एवं कर इकाई में आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत किराया महसूल एवं कर इकाई में बजट उपबंध के अंतर्गत निम्न कार्यालय के सामने अंकित कुल-9.769 लाख (नौ लाख छिहतर हजार नौ सौ) रुपये मात्र का आवंटन दिया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)		
क्र०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद	4.14720
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, शेखपुरा	0.17595
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सहरसा	2.35800
4	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेतिया	1.52460
5	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	1.56325
योग:-		9.76900

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- I. अनुदान माँग संख्या- : 50
- II. मुख्य शीर्ष- : 2702-लघु सिंचाई
- III. उप मुख्य शीर्ष- : 02-भू-जल
- IV. लघु शीर्ष- : 005-अन्वेषण
- V. उप शीर्ष- : 0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
- VI. विपत्र कोड- : 50-2702020050001
- VII. विस्तृत शीर्ष/विषय शीर्ष- : 14.01 किराया महसूल एवं कर

3. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है ।

4. आवंटित राशि का भुगतान विधिवत/नियमानुसार मकान मालिक द्वारा किये गए एकरारनामा, विभागीय आदेश/स्वीकृत्यादेश, संबंधित जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत किराया निर्धारण आदेश एवं मकान की अनुपलब्धता आदि प्रमाण-पत्र के बिना नहीं किया जाय । उक्त निदेश के संदर्भ में आवंटित राशि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी।
6. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
7. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
8. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
10. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन


(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-193

पटना, दिनांक-27/7/26

E-Mail

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिववालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित मुख्य अभियंता/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-193

पटना, दिनांक-27/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/उप सचिव/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग को आवंटनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव
